# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–27 / 2023

तारीख दायर–14.06.2023

तारीख–निर्णय– 06.2.2026

1. श्री चौखा पुत्र रूपा मीणा निवासी भरेव तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री वजयराम पुत्र रूपा मीणा निवासी भरेव तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री बाबरू पुत्र रूपा मीणा निवासी भरेव तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती गेन्दकी पुत्री रूपा मीणा निवासी भरेव तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्रीमती धनकी पुत्री रूपा मीणा निवासी भरेव तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........प्रार्थी

**बनाम**

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........अप्रार्थी

उपस्थित–प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री मुकेश चौबिसा

अप्रार्थी की ओर से–श्री राजपेरोकार

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा भरेव, पटवार हल्का भरेव भू.अ.निरीक्षक वृत्त लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 73 व पुराना 81 में वर्णित आराजी संख्या 1191 से 1196, 1198 / 14, 1198 / 14, 1221 / 3, 1223, 1267 / 3 कुल किता 10 कुल रकबा 4.0176 हैक्टेयर प्रार्थी व अन्य खातेदार की संयुक्त भूमि है प्रार्थी नाबालिग होने के कारण अन्तकाल खोलते समय पटवारी द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में दलीया पुत्र रूपा नाम दर्ज कर दिया जो जबकी प्रार्थी का नाम दलीया नही होकर वजयराम पुत्र रूपा है प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में जेसें राशन कार्ड,पैन कार्ड, ई–श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड,जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम वजयराम पुत्र रूपा है अन्तकाल खोलते समय सही जॉच नही की व न ही दस्तावेजों से अन्तकाल खोला गया जो एक लिपीकीय त्रुटी है जिसको प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी मौजा भरेव पटवार हल्का भरेव, भू.अ.निरीक्षक वृत्त लसाडिया तहसील लसाडिया में स्थित होकर आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व भरेव पटवार हल्का भरेव भू.अ.निरीक्षक लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 73 व पुराना 81 में वर्णित वर्णित आराजी संख्या 1191 से 1196, 1198 / 14, 1198 / 14, 1221 / 3, 1223, 1267 / 3 कुल किता 10 कुल रकबा 4.0176 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अन्य खातेदारों की संयुक्त भूमि में प्रार्थी श्री दलीया पुत्र रूपा जाति मीणा के नाम दर्ज है। अतः भू–अभिलेख निरीक्षक लसाडिया, पटवारी हल्का भरेव एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

ात आराजी संख्या 1191 से 1196, 1198/14, 1198/14, 1221/3, 1223, 1267/3 कता 10 कुल रकबा 4.0176 हैक्टेयर भूमि में खातेदार का नाम श्री दलीया पुत्र रूपा मीणा ाय श्री वजय राम पिता रूपा मीणा किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान क्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से र्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के धार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

## —: :निर्णय : :—

तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों के आधार पर मोझा भरेव पटवार हल्का भरेव भू.अ.निरीक्षक लसाडिया खाता संख्या नया 73 व पुरानी 81 में वर्णित आराजीयात् संख्या 1191 से 1196, 1198/14, 1198/14, 1221/3, 1223, 1267/3 कुल किता 10 कुल रकबा 4.0176 हैक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार का नाम श्री दलीया पुत्र रूपा मीणा के बजाय श्री वजयराम पुत्र रूपा मीणा किया जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक ......06.02.2026.को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)